



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी-12 वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 112767 / सी-1 / एनओसी-688 / 2017

दिनांक : 29-11-17

सेवा में,

मैसर्स "उप्पल चड्डा हाईटैक डेवलपर्स प्रा0 लि0"

Mezzanine Floor, M-4,

South Extension Part-II

New Delhi-110049.

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से हाईटैक टाउनशिप परियोजना हेतु पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में ।

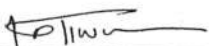
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जो कि बोर्ड मुख्यालय में दिनांक-16.11.2017 को प्राप्त हुआ है, का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ हाईटैक सिटी परियोजना (गाजियाबाद के अन्तर्गत ग्राम- सादिकपुर काजीपुर, न्यायफल, बयाना, शाहपुर बेम्हैटा, डासना, महरोली, इकलाख, इनायतपुर, आरिफपुर, दुरयाई, पचैडा वारिसबाद, दुजाना, तलबपुर उर्फ हाथीपुर व गिरधरपुर सुनारसी) को पूर्व में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवम् वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत बोर्ड के पत्रांक एफ 82293/सी-1/एनओसी0/जी-688/2011/8 दिनांक 10/03/2011 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता तिथि निम्नलिखित शर्तों के साथ पत्र निर्गमन की तिथि से 05 वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है :-

1. परियोजना से जनित वेस्ट ऑयल तथा ई-वेस्ट का निस्तारण परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली तथा ई-वेस्ट नियमावली के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
2. परियोजना विकास के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्पिन्कलर की व्यवस्था की जाये एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
3. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल0पी0जी0 की व्यवस्था की जाये तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाये।
4. परियोजना द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी0जी0सेट स्थापित करें तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।
5. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एम0एस0डब्लू0 रूल्स-2016 के प्राविधानों के अनुसार करें।
6. नगरीय ठोस अपशिष्ट को एकत्रित करके सेग्रीग्रेट किया जाये जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को वर्मी कम्पोस्ट अथवा आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाये।
7. परियोजना द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें एवं हरित पट्टिका का प्रस्ताव प्रेषित करें।
8. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।
9. परियोजना का निर्माण अथॉरिटी द्वारा स्वीकृत नक्शा के अनुसार ही किया जाये।
10. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जायेगी।
11. परियोजना स्थल पर अथॉरिटी के नियमानुसार हरित पट्टिका विकसित की जाये।
12. भूजल के दोहन हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी0 प्राप्त किया जाये।
13. परियोजना स्थल पर कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार परियोजना के निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से (6'x4') डिस्पले बोर्ड प्रदर्शित किया जाए।

14. परियोजना द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं अन्य सुसंगत नियमों के आवश्यक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
15. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
16. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
17. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed into the air or atmosphere in any form whatsoever.
18. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
19. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
20. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
21. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
22. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
23. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
24. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
25. Wind breaking wall will be constructed around the construction site.
26. Green belt will be developed around the buildings as per rules.
27. All approach roads & in campus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बैंक गारण्टी सं० 235GM 01173110002 दिनांक 07/11/2017 रु० 10 लाख बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकती है तथा बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के संबंध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 31.12.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए।


(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं०

/सं०ओ०सी०

तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-1